न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/208

फूलचन्द पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद दत्तक पुत्र भैरूलाल उर्फ भैरिया जाति मीणा निवासी बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. साहबलाल पिता रतनलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)। मृतक के बजाय–
   - 2/1. हरिमोहन पुत्र साहबलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
   - 2/2. रामावतार पुत्र साहबलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
   - 2/3. केलन्ताबाई पुत्री साहबलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
   - 2/4. कोमलता पुत्री साहबलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
   - 2/5. गीताबाई पत्नी साहबलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
3. बिरधीलाल पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. दाखाबाई पुत्री रतनलाल पत्नी गणेशलाल जाति मीणा निवासी कुसिया तहसील मांगरोल जिला बारां(राज0)।
5. बिद्या पुत्री रतनलाल पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी कोटड़ा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।

6. लटूरी पुत्री रतनलाल पत्नी प्रेमशंकर जाति मीणा निवासी जारेला तहसील मांगरोल जिला बारां(राज0)।
7. काली पुत्री जगन्नाथ पत्नी पप्पू जाति मीणा निवासी बम्बूलिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. रमेला पुत्री जगन्नाथ पत्नी पप्पूलाल जाति मीणा निवासी ढिढोरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. राधेश्याम पिता नामालुम जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज)।
10. दिनेश पुत्र राधेश्याम जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज)।
11. बुद्धि प्रकाश पिता राधेश्याम जाति मीणा निवासी विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज)।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). संजय पटौदी– अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). उत्पल शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1, 3
(3). पैरोकार सरकार– रेस्पोडेन्ट 12

निर्णय **दिनांक 03.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 63/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी की मौजा विनायका तहसील पीपल्दा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 107 मे दर्ज आराजी संख्या 130, 132, 143, 144, 178, 200, 361, 391, 392 कुल किता 9 कुल रकबा 8.60 हैक्टेयर स्थित है । उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त आराजीयात मे निहित अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण सख्या 1 से 8 जबरन वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 की सहायता से अवैध कब्जा करने की नीयत से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को परेशान करते है तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने का प्रयास करते है, जिस कारण उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निहित 1/3 हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर पृथक से पत्थरगढी करवाई जाने एवं राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की भूमि मे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 9 से 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं उपस्थित हुआ। 3, 7, 8, 1, 12 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 से 11 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना बताते हुए प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 का जवाबदावा बंद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दिनांक 16.08.2022 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात का विभाजन किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण सख्या 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को बिना सूचित किये तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की है जिसका विभाजन किया जाना है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात के विभाजन का प्रस्ताव मंगवाये बिना ही स्वयं के स्तर पर विवादित आराजीयात का बंटवारा करते हुए निर्णय पारित किया है। बिना पक्षकारान की सहमति प्राप्त किये व तहसीलदार से बिना विभाजन प्रस्ताव तलब किये विशिष्ठ खसरा संख्या को विभाजन से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होकर अवैधानिक है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण से बिना जवाबदावा लिये तथा बिना तनकीयात कायम किये निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि बंटवारे के वादपत्र मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना ही वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 10 व 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं उपस्थित हुआ जिसके आदेशिका दिनांक 26.08.2019 पर उपस्थिति के रूप मे हस्ताक्षर है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 को सुनवाई व जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजदू उसकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तत नहीं किया गया। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अन्य प्रतिवादीगण को जवादावा

प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से जवाबदावे की कार्यवाही बंद की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा सहमति का जवाबदावा होने से पत्रावली मे तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नही की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात का राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार विभाजन किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित आराजीयात के बंटवारे व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। आदेशिका दिनांक 26.08.2019 मे प्रतिवादी संख्या 6 अपीलांट स्वंय उपस्थित होना अंकित है। आदेशिका दिनांक 26.08.2019 पर प्रतिवादी संख्या 6 अपीलांट के हस्ताक्षर भी है। पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत की गई। आदेशिका दिनांक 11.07.2022 मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 6 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 से 11 का जवाबदावा बंद किया गया। निर्णय दिनांक 16.08.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारे के वादपत्र मे तहसीलदार इटावा से विवादित आराजीयात का बंटवारा प्रस्ताव तलब नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही विवादित आराजीयात का विभाजन किया जाकर पक्षकारान की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीयात के मौके की वास्तुस्थिति के बारे मे कोई रिपोर्ट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तलब नहीं की गई है। सामान्यतः राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारे के प्रकरण मे सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री मे हक हिस्सा निर्धारण कर प्रश्नगत भूमि का बंटवारा प्रस्ताव भू–धारक तहसीलदार से मंगवाया जाता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण मे पारित निर्णय मे विवादित आराजीयात का विभाजन किस प्रकार किया गया यह स्पष्ट नहीं है। विवादित आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार का विभाजन प्रस्ताव व राजस्व नक्शा भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण मे

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे तथा उसके तहत बने नियमों में उल्लेखित बंटवारे की प्रकिया की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे मौके व राजस्व रेकॉर्ड की स्थिति का सटीक अंकन नहीं किया गया है। तहसीलदार स्तर से कोई प्रस्ताव अथवा सहमति भी अंकित नहीं है। फलस्वरूप अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 विधि अनुसार नहीं होकर त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा के प्रकरण संख्या 63/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे उल्लेखित बंटवारे की प्रकिया की पालना करते हुए , गुणावगुण पर नवीन सिरे से विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचाराण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)